प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, नवाबगंज,
बाराबंकी।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक: 28 फरवरी, 2014

विशयः- वित्तीय वर्ष 2013-14 में नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, पत्र संख्या-97, दिनांक-04.01.2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, बाराबंकी में 02 सड़कों के निर्माण के लिए **₹ 177.79 (रूपये एक करोड़ सतहत्तर लाख उन्यासी हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **₹ 88.89 (रूपये अट्ठासी नवासी हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण, शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. स.	निकाय/जनपद का नाम	प्रस्तावित कार्य	प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत	प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत के सापेक्ष प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, बाराबंकी	1. फैजाबाद रोड से (पल्हरी चौराहा)टैक्सी स्टैण्ड से सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट पलान्ट तक पेवर फिनिसर द्वारा सड़क का सुधार कार्य	92.81	92.81	
		2. बहरामघाट चौराहे से सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट तक पेवर फिनिसर द्वारा सड़क का सुधार कार्य	84.98	84.98	
		योग -	**178.34**	**177.79**	**88.89**

(₹ अट्ठासी लाख नवासी हजार मात्र)

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
3. योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-2087/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07 जून, 2013 तथा शासनादेश संख्या-3747/नौ-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 10 सितम्बर, 2013 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।
4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
5. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
6. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

8. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
9. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
10. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
11. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को **दिनांक 31.03.2014** तक भेजा जाना अनिवार्य होगा।
12. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

2- स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय आयोजनागत लेखाशीर्षक ''2217-शहरी विकास-80-सामान्य-192-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-04-उ.प्र. व्यापार विकास निधि से व्यय-0401-नगरीय सड़क सुधार योजना-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-8-1223/दस-2014 दिनांकः 28 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

<u>संख्या-27(1)/नौ-5-14-46बजट/2014, तद्‌दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित-

1. महालेखाकार (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, फैजाबाद।
3. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
4. कोषाधिकारी, बाराबंकी।
5. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7. अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, नवाबगंज, बाराबंकी।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।